न्यायालय जिला कलेक्टर,टोंक

(आर.सी.ढेनवाल,आई0ए0एस0 द्वारा अध्यासित)

प्रकरण संख्या

17/2019

रूकमणी देवी 1786, दीवान भगचन्द की गली तेली पाड़ा चोड़ा रास्ता जयपुर।

--अपीलार्थी

बनाम

1--लोक सूचना अधिकारी एंव उपखण्ड अधिकारी निवाई

--प्रत्यर्थी

न्यायालय जिला कलेक्टर टोंक (राजस्थान) सत्यमेव जयते

अपील अन्तर्गत धारा 19 (1) सूचना का अधिकार अधिनियम 2005

निर्णय

दिनांक 10-6-2019

प्रकरण का संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि अपीलार्थी ने सूचना के अधिकार अधिनियम के तहत लोक सूचना अधिकारी एंव उपखण्ड अधिकारी निवाई को आवेदन पत्र दिनांक 9-4-2019 प्रेषित/प्रस्तुत कर निम्न वर्णित सूचना चाही गईः-

1--श्रीमान उपखण्ड अधिकारी एंव उपखण्ड मजिस्ट्रेट निवाई जिला टोंक के कार्यालय में सूचना एंव जन सम्पर्क कार्यालय जिला टोंक से प्राप्त समाचार पत्रों की सूची अनुसार मुद्रण स्थान में मुद्रणालयों के नामोनुसार एक लगायत ग्याराह समाचार पत्रों के आगे एक लगायत ग्याराह मुद्राणालय के नामों का उल्लेख है। जिसमें कम सं0 तीन लक्ष्मी प्रिन्टर्स निवाई एंव बिन्दु सं0 सात लक्ष्मी प्रिन्टर्स निवाई का उल्लेख है उक्त दोनों मुद्राणालय धारक द्वारा मुद्राणालय स्थापित किये जाने के लिए घोषणा पत्र प्रस्तुत किया गया है, उक्त घोषणा पत्रों की सत्यापित प्रमाणित प्रतिलिपि पृथक पृथक सत्यापित प्रमाणित कर प्रतिलिपि दिलवाये।

2--पैरा एक में वर्णित सूचना के कम में मुद्रण यंत्र धारक द्वारा प्रस्तुत घोषणा पत्र के साथ मुद्रण यंत्र कय के जो बिल बतौर सबूत के तोर पर प्रस्तुत किये गये थे उन बिलों की भी सत्यापित प्रमाणित प्रतिलिपि दिलवायें।

3--घोषणा पत्र तस्दीक किये जाने के पश्चात पेरा एक में वर्णित बिन्दु संख्या तीन लक्ष्मी प्रिन्टर्स निवाई एंव बिन्दु संख्या सात लक्ष्मी प्रिन्टर्स निवाई द्वारा प्रस्तुत घोषणा पत्र में मौके/बताएं गये यथा स्थान पर मुद्राणालय यंत्र की स्थापना की गई है या नहीं की जॉच की गई थी जिसकी मौके की जॉच रिपोर्ट की सत्यापित प्रमाणित प्रतिलिपि दिलवाएं।

अपीलार्थी को उक्त वर्णित आवेदित सूचना समयावधि समाप्त हो जोने के उपरान्त भी उपलब्ध न करवाये जाने पर यह अपील अपीलार्थी द्वारा प्रत्यर्थी के विरूद्ध प्रस्तुत की गई। अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की गई तथा प्रत्यर्थी से प्रस्तुत अपील के सम्बन्ध में जवाब भिजवाने हेतु न्यायालय के पत्र कमांक 409 दिनांक 16-5-2019 से

जिला कलेक्टर
टोंक

Scanned by CamScanner

लिखा गया। उपखण्ड अधिकारी निवाई ने किसी भी प्रकार का जवाब नहीं भिजवाया है। बार–बार दूरभाष पर निर्देश देने के बाद भी जवाब नहीं दिया गया है। इससे यह स्पष्ट हे कि अपीलार्थी को उपखण्ड अधिकारी निवाई द्वारा सूचना के अधिकार अधिनियम के तहत प्रस्तुत आवेदन पत्र में आवेदित सूचना निर्धारित समयावधि में उपलब्ध नहीं करवाई गई है। जबकि अपीलार्थी आवेदित सूचना प्राप्त करने का अधिकारी है। फलतः अपील स्वीकार की जाकर लोक सूचना अधिकारी उपखण्ड अधिकारी निवाई को निर्देशित किया जाता है कि वह अपीलार्थी को उनके द्वारा आवेदित सूचना निर्णय की प्रति प्राप्ति से 20 दिवस में निःशुल्क उपलब्ध करावें। अपीलार्थी व लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी निवाई को निर्णय की प्रति प्रेषित की जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो तथा बाद तकमील दाखिल दफतर हो।

न्यायालय जिला कलेक्टर टोंक (राजस्थान)
सत्यमेव जयते

(आर.सी.ढेनवाल)
जिला कलेक्टर एंव
प्रथम अपील अधिकारी टोंक
जिला कलेक्टर
टोंक

Scanned by CamScanner